Title: Introduction of the Child Labour in Hazardous Employment (Abolition, Rehabilitation and Welfare) Bill, 2000.

श्रीमती कान्ति (बिक्रमगंज): स्भापित महोद्य, मैं प्रस्ता्व करती हूं कि पिर्संकटम्य नि्योजन में बालकों, बंधित ्या अन्यथा, के नि्योजन का उत्सादन करने, उनमें नि्योजित बालकों के पुन्व्स और उनके लिए कल्याणकारी उपा्यों और तत्स्ंबंधी ्या उ्सके आनुांगिक वि्ायों का उप्बंध करने वाले विध्यक को पुरः्स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to abolish employment of children, bonded or otherwise, in hazardous employment, rehabilitation of those children who are employed and for welfare measures for them and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्रीमती कान्ति (सिंह (बिक्रमगंज) : स्भापति महोद्य, मैं विध्यक पुर:स्थापित ** करती हूं।

15.10 hrs.